

24/12 पत्रवली रीश हुई। वकुलाय उपस्थित।
पत्रवली व उपलब्ध रेकर्ड के अद्ययन
व वकुलाय की बल्स पर मनन के पश्चात
उर्धमा पर उर्धो स्वीकार किया जाकर
विस्तृत ऑर्डर प्रथम से लिखाया गया।
उर्धो प्रो. 102 बाली व समस्त संबंधी
के पलनर्क रिजर्वर जैव। पत्रवली रीशत
सुमार हीनर नम्बर से कम है।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उमखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठारीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 196

दायरा तिथि : 29.05.2024

आदेश तिथि : 24-06-2024

प्रार्थी :-

श्रीमति सेजल जानी पति शलेप कुमार जाति ब्राम्हण निवासी भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब नाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक 24-06-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 संपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 571 रकबा 0.5300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 572/741 रकबा 0.6000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में येलो फ्लोरोसेंट रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक,वेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/584 दिनांक 05.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक वेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु आस-पास स्थित खसरा नं ही आना-जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है-

| क्र. सं. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | जिरम | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर | नाम खातेदार |
|----------|-----------|-----------------|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 572/741 | 0.6000 हैक्टर | बरानी रायम | 40x9= 360 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार |

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 1,84,857 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व अधिकारी सरकार को सूचित किया गया।

अध्यक्ष कलेक्टर एवं पर्यवेक्षक उपखण्ड अधिकारी, बाली



पेज लगातार..... 02

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024 /
 अन्यान्य सैजल जानी बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व चकुराव की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 571 रकबा 0.5300 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/584 दिनांक 05.06.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संकथ में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक प3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/सक्तियों के अनुरारण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 571 रकबा 0.5300 हेक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दुदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दुदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 572/741 रकबा 0.6000 हेक्टर में से 360 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज धिये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा कराये। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

| खसरा नंबर | रकबा हेक्टर में | रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल | डी.एल. सी दर (प्रति वर्ग मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर प्रति हेक्टर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 572/741 | 0.6000 हेक्टर | 40x9= 360 वर्गमीटर | 19 | 6840x2=13680 | राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार |

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 13680/- (अक्षरे तेरह हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेंडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ निजवाची जावे। मिसल फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

क्रमांक / कोर्ट / 2024 /

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करे।
 2. निरीक्षक भू0अ0 बेंडा
 3. पटवारी हल्का, दुदनी
 4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
- आवेदक श्रीमति सजल जानी पत्नि शैलेष कुमार जाति ब्राम्हण निवासी भावुन्द तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।



3
 दिनांक विरगोड
 सहायक कलक्टर एवं पटवारी
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली
 सहायक कलक्टर एवं पटवारी
 उपखण्ड अधिकारी, बाली